

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

मु0न0 — 05/2020

1. कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 18 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 18 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—वादीगण —

बनाम

1. गुरदीप सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 18 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर।

— प्रतिवादीगण—

अन्तर्गत धारा 88-188 आरटीए

—निर्णय—

दिनांक : 28/1/2020



संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 गुरदीप सिंह के नाम चक 18 बी बी तहसील पदमपुर में बरूए जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 का खाता सं0 11/12 के मुरबा नं0 48-49 में 1.826 है0 नहरी मय खाला, खाता सं0 26/26 के मुरबा नं0 50/6.325 है0 नहरी में से 5.288 है0 भूमि एवं चक 7 सी सी तहसील पदमपुर में बरूए जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 का खाता सं0 20216 के मुरबा नं0 52-53 में 3.607 है0 नहरी भूमि, खाता सं0 55/47 के मुरबा नं0 52-53 में 1.077 है0 नहरी भूमि इस प्रकार दोनों चकों में कुल 11.798 है0 नहरी मय खाला भूमि दर्ज कागजात राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि में से चक 18 बी बी के मुरबा नं0 50 की 5.288 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 गुरदीप सिंह को विरास्तन प्राप्त हुई है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 की उक्त भूमि संयुक्त परिवार की विरास्तन सम्पति है। जिसमें वादीगण जन्म से ही हिस्सेदार है। वादीगण विरास्तन सम्पति में से अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 ने हिस्सा स्वरूप उक्त सम्पति में कुछ हिस्सा खाता सं0 26/26 के मुरबा नं0 50/6.325 है0 नहरी में से अपनी 5.288 है0 भूमि में से वादी कुलविन्द्र सिंह को 1.518 है0 व वादी राजविन्द्र सिंह को 1.518 है0 भूमि काश्त के लिए दे रखी है। वादीगण

20
(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

उक्त भूमि का खातेदार मालिक घोषित होने के अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। उक्त सम्पत्ति संयुक्त परिवार की विरास्तन सम्पत्ति है। वादीगण ने प्रतिवादी सं० 1 को उक्त अनुसार भूमि अपने नाम करवाने हेतु कहा तो उसने इन्कार कर दिया जो यही वाद का कारण है। उक्त सम्पत्ति जो कि प्रतिवादी सं० 1 के नाम से है। प्रतिवादी ने उक्त सम्पत्ति को अन्यत्र किसी को बेचान कर दिया तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:-

(क) चक 18 बी बी तहसील पदमपुर में बरूए जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 का खाता सं० 26/26 के मुरबा नं० 50/6.325 है० नहरी में से अपनी 5.288 है० भूमि में से वादी कुलविन्द्र सिंह को 1.518 है० व वादी राजविन्द्र सिंह को 1.518 है० का खातेदार मालिक घोषित किया जावे।

(ख) प्रतिवादी सं० 1 के विरुद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी उक्त भूमि को अन्यत्र रहन बैय करने से बाज व ममनू रहें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 1 की ओर से श्री सुभाष किनरा अधिवक्ता उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में वादीगण ने चक 18 बी बी तहसील पदमपुर मे बरूए जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 का खाता सं० 26/26 के मुरबा नं० 50/6.325 है० नहरी में से पिता गुरदीप सिंह के नाम की 5.288 है० भूमि में से वादी कुलविन्द्र सिंह को 1.518 है० व वादी राजविन्द्र सिंह को 1.518 है० का खातेदार मालिक घोषित होने का अनुतोष चाहा हैं। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पंचायत द्वारा राजीनाम करवा दिया है। अब मिकरान का आपस में कोई विवाद नहीं है। राजीनामा अनुसार यदि उक्त वाद पत्र डिक्री कर दिया जावे तो हम सभी सहमत है। राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र




सुभाष कुमार
खण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसील पदमपुर के चक 18 बी बी की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 का खाता सं० 26/26 के मुरबा नं० 50/6.325 है० नहरी में से प्रतिवादी सं० 1 गुरदीप सिंह के नाम की 5.288 है० भूमि में से वादी सं० 1 कुलविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख का 1.518 है० नहरी भूमि व वादी सं० 2 राजविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख का 1.518 है० नहरी भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन दर्ज हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव न होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/1/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सुभाष कुमार)
उपस्थंड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

